International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 24-05-2026, Accepted: 23-06-2026, Published: 08-07-2026
Volume 12, Issue 3, 2026, Page No. 27-30

भारतीय किसान एवं विश्व व्यापार संगठनः किसानों को लाभ, हानि एवं वर्तमान स्थिति

धन राज[1], डॉ. राम बिनोद रे[2]
[1] शोधार्थी, हिंदी एवं तुलनात्मक विभाग, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल, भारत
[2] सहायक आचार्य, हिंदी एवं तुलनात्मक विभाग, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल, भारत

सारांश
भारत एक कृषि–प्रधान देश है, जहाँ लगभग आधी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के गठन के पश्चात भारत की कृषि नीति, सब्सिडी ढांचे तथा बाजार व्यवहार में व्यापक परिवर्तन आए हैं। यह शोध पत्र WTO के कृषि समझौते (Agreement on Agriculture) के अंतर्गत भारतीय किसानों को मिलने वाले संभावित लाभ जैसे निर्यात के नए अवसर, तकनीकी हस्तांतरण एवं वैश्विक बाजार तक पहुँच तथा हानि जैसे विकसित देशों की उच्च सब्सिडी से उत्पन्न असमान प्रतिस्पर्धा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं सार्वजनिक खरीद व्यवस्था पर मंडराता खतरा आदि का विश्लेषण करता है। साथ ही, यह शोध–पत्र वर्तमान स्थिति, विशेषकर 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13, अबू धाबी, 2024) में सार्वजनिक भंडारण (Public Stockholding) के मुद्दे पर भारत के रुख तथा आगे की संभावित दिशा का विवेचन करता है। शोध में द्वितीयक स्रोतों सरकारी रिपोर्ट, WTO के दस्तावेज़ों तथा विद्वानों के शोध–पत्रों का उपयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत को बहुपक्षीय वार्ताओं में अपने छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हेतु निरंतर एवं संगठित कूटनीतिक प्रयास करने होंगे।

मूलशब्दः विश्व व्यापार संगठन, कृषि समझौता, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक भंडारण, सब्सिडी, भारतीय किसान, MC13

भारत में कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवन–पद्धति और सामाजिक संरचना का आधार है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की लगभग 45 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में संलग्न है, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 18 प्रतिशत है (आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार)। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना के साथ ही वैश्विक व्यापार व्यवस्था एक नियम–आधारित ढांचे में परिवर्तित हो गई, जिसके अंतर्गत कृषि समझौता (Agreement on Agriculture – AoA) पहली बार कृषि उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियमों के दायरे में लाया गया।

वैश्वीकरण के इस दौर में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह दोधारी तलवार साबित हुआ है। एक ओर इससे भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज बेचने का अवसर मिला, तो दूसरी ओर विकसित देशों की भारी सब्सिडी और संरक्षणवादी नीतियों के कारण भारतीय किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यह शोध पत्र इन्हीं द्वंद्वात्मक पहलुओं लाभ, हानि और वर्तमान वार्ता की स्थिति का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत में कृषि सुधारों की प्रक्रिया 1991 के आर्थिक उदारीकरण के साथ ही आरंभ हो गई थी, परंतु WTO की स्थापना ने इस प्रक्रिया को एक बहुपक्षीय कानूनी ढांचे के अंतर्गत ला दिया। उरुग्वे दौर की वार्ताओं में विकासशील देशों ने यह आशा व्यक्त की थी कि कृषि व्यापार के नियमन से उन्हें भी वैश्विक बाजार में समान अवसर प्राप्त होंगे, परंतु व्यवहार में विकसित देशों ने अपनी घरेलू सब्सिडी संरचना को न्यूनतम रूप से ही समायोजित किया। फलस्वरूप पिछले तीन दशकों में भारत की कृषि नीति को निरंतर इस अंतरराष्ट्रीय दबाव और घरेलू खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन साधना पड़ा है। यह शोध पत्र इस ऐतिहासिक संदर्भ को भी अपने विश्लेषण में सम्मिलित करता है, जिससे वर्तमान वार्ताओं की पृष्ठभूमि को समग्रता से समझा जा सके।

शोध उद्देश्य

1. WTO के कृषि समझौते की संरचना एवं भारत पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना।
2. भारतीय किसानों को WTO सदस्यता से प्राप्त संभावित लाभों का विश्लेषण करना।
3. WTO नियमों से भारतीय कृषि क्षेत्र को होने वाली हानियों एवं चुनौतियों की पहचान करना।
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सार्वजनिक भंडारण एवं सब्सिडी से संबंधित वर्तमान वार्ताओं (विशेषकर MC13) की समीक्षा करना।
5. भारतीय किसानों के हितों की रक्षा हेतु संभावित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रणाली

प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जो द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। आंकड़ों एवं तथ्यों का संग्रहण भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विश्व व्यापार संगठन के आधिकारिक प्रकाशनों, तथा प्रतिष्ठित शोध–पत्रिकाओं एवं समाचार स्रोतों से किया गया है। विश्लेषण की पद्धति तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक है, जिसमें 1995 से वर्तमान (2026) तक की घटनाओं एवं नीतिगत परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि समझौताः एक परिचय

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर (1986–94) की वार्ताओं के पश्चात हुआ, जो गैट (GATT) का उत्तरवर्ती संगठन है। वर्तमान में इसके 166 सदस्य देश हैं, जो विश्व व्यापार के लगभग 98 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृषि समझौता (AoA) WTO के अंतर्गत कृषि व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख दस्तावेज़ है, जो तीन मूल स्तंभों पर आधारित है– बाजार पहुँच (Market Access), घरेलू समर्थन (Domestic Support), तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा (Export Competition)।

घरेलू समर्थन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: 'ग्रीन बॉक्स' (उत्पादन से असंबद्ध सहायता, जैसे शोध एवं अवसंरचना), 'ब्लू बॉक्स' (उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रम), तथा 'एम्बर बॉक्स' (मूल्य–समर्थन एवं इनपुट सब्सिडी, जिन्हें व्यापार–विकृतिकारी माना जाता है)। भारत के अधिकांश किसान–समर्थन कार्यक्रम, जैसे विद्युत, खाद एवं सिंचाई पर सब्सिडी, एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आते हैं, जिन पर WTO नियमों के तहत सीमा निर्धारित है।

भारत की प्रतिबद्धताएँ एवं 'डी–मिनिमिस' सीमा

WTO सदस्यता ग्रहण करते समय भारत ने अपनी कृषि सब्सिडी को 'डि–मिनिमिस' सीमा के भीतर रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, जिसके अनुसार विकासशील देश अपने कुल कृषि उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत तक उत्पाद–विशिष्ट (Product-Specific) तथा गैर–उत्पाद–विशिष्ट (Non-Product-Specific) सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं, जबकि विकसित देशों के लिए यह सीमा मात्र 5 प्रतिशत है। यह प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था विकासशील देशों के पक्ष में अधिक लचीलापन प्रदान करती है, परंतु वास्तविकता में चावल एवं गेहूँ जैसी फसलों पर भारत की MSP–आधारित खरीद का मूल्य कई वर्षों में इस सीमा के निकट या उससे अधिक पहुँच गया है, जिसके कारण भारत को बार–बार अन्य सदस्य देशों की आलोचना तथा प्रश्नों का सामना करना पड़ा है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने 'शांति खंड' तथा बाद में स्थायी समाधान की मांग को अपनी वार्ता नीति का केंद्रीय बिंदु बनाया।

भारतीय किसानों को WTO से प्राप्त संभावित लाभ

निर्यात बाज़ार तक विस्तृत पहुँच

WTO सदस्यता के पश्चात भारतीय कृषि उत्पादों चावल, मसाले, चाय, कपास तथा समुद्री उत्पादों को विश्व के विभिन्न बाजारों में प्रवेश का अवसर मिला। टैरिफ बाधाओं में क्रमिक कमी से भारत के कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे किसानों एवं निर्यातकों को विदेशी मुद्रा अर्जन का लाभ प्राप्त हुआ।

तकनीकी हस्तांतरण एवं गुणवत्ता मानक

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने हेतु भारतीय कृषि क्षेत्र में उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक तथा फसलोत्तर प्रबंधन (Post-Harvest Management) में सुधार हुआ है। वैश्विक मानकों (जैसे सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी मानक) के अनुपालन हेतु भारतीय कृषि अवसंरचना में निवेश को बल मिला है।

बहुपक्षीय मंच पर सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति

WTO के अंतर्गत भारत को G33 जैसे विकासशील देशों के समूह के साथ मिलकर अपने किसानों के हितों हेतु सामूहिक रूप से सौदेबाज़ी करने का अवसर मिला है। उपराष्ट्रपति द्वारा यह बताया गया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी योजनाएँ, जैसे PM-KISAN तथा तेलंगाना की रयथु बंधु एवं ओडिशा की कालिया योजना (कृषक सहायता आजीविका और आय संवर्धन), किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करने में सक्षम हैं।

घरेलू नीति–सुधार की प्रेरणा

WTO की प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था ने भारत सरकार को कृषि सब्सिडी ढांचे में सुधार, MSP को तर्कसंगत बनाने तथा फसलोत्तर अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु प्रेरित किया है, जिससे दीर्घकाल में दक्षता में वृद्धि की संभावना है।

विशिष्ट कृषि उत्पादों में निर्यात सफलता के उदहारण

व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो बासमती चावल, मसाले, काजू तथा समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा) जैसे क्षेत्रों में भारत ने वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, जो टैरिफ–रहित या न्यून–टैरिफ पहुँच के बिना संभव नहीं होता। इसी प्रकार कपास तथा गन्ने पर आधारित मूल्य–श्रृंखलाओं को भी अंतरराष्ट्रीय निर्यात मांग से प्रोत्साहन मिला है। यह उदाहरण दर्शाते हैं कि जहाँ भारतीय किसानों एवं प्रसंस्करण उद्योग ने गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्वयं को ढाला, वहाँ WTO–संचालित बाजार पहुँच का सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ है, यद्यपि यह लाभ देश के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्ग के किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँच सका।

भारतीय किसानों को होने वाली हानियाँ एवं चुनौतियाँ

विकसित देशों को उच्च सब्सिडी से असमान प्रतिस्पर्धा

भारतीय किसानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विकसित देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ, द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में प्रति किसान लगभग 40,000 डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा मात्र 300 डॉलर प्रति किसान है, यह अंतर लगभग 130 गुना है। ध्यान देने योग्य है कि WTO के नियम प्रति किसान आधार पर सब्सिडी का आकलन नहीं करते, जिससे भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों पर असमान बोझ पड़ता है।

ब्लू बॉक्स एवं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से वंचित

भारतीय किसानों को विकसित देशों की भांति ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्राप्त नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मकान, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, खाद एवं बिजली का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी फसल का मूल्य भारतीय उत्पादन लागत से कम हो, तो भारतीय किसान को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, चाहे वह तकनीकी दृष्टि से कुशल ही क्यों न हो।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं सार्वजानिक भंडारण पर खतरा

भारत की खाद्य सुरक्षा नीति न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद तथा सार्वजनिक भंडारण (Public Stockholding) पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सरकार किसानों से गेहूँ एवं चावल जैसी फसलें MSP पर खरीदती है तथा निर्धनों को सब्सिडीयुक्त दर पर वितरित करती है। WTO का कृषि समझौता किसी सदस्य देश की 'डि–मिनिमिस' सीमा (कुल कृषि उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत) से अधिक मूल्य–समर्थन सब्सिडी को व्यापार–विकृतिकारी मानता है, जिससे भारत की MSP–आधारित खरीद व्यवस्था पर निरंतर कानूनी एवं कूटनीतिक दबाव बना रहता है।

छोटे एवं सीमान्त किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव

भारत में लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे एवं सीमांत (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) हैं। वैश्विक बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा का सीधा प्रभाव इन्हीं कमजोर वर्गों पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास न तो बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है, न ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सौदेबाज़ी की शक्ति। बाजार संपर्कों, बिचौलियों तथा मूल्य सूचना की कमी के कारण भी किसानों को मूल्य में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।

आयत वृद्धि से घरेलू उत्पादकों पर दवाब

टैरिफ में कमी के परिणामस्वरूप कुछ कृषि उत्पादों जैसे खाद्य तेल एवं दालें के आयात में वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू उत्पादकों को मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इससे कुछ क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन हतोत्साहित होने की चिंता व्यक्त की जाती रही है।

तिलहन एवं डेयरी क्षेत्र का विशेष उदहारण

तिलहन क्षेत्र इस असंतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है– सस्ते पाम तेल एवं सोया तेल के आयात ने घरेलू तिलहन उत्पादक

किसानों के लिए मूल्य को प्रतिकूल बना दिया, जिससे भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर अत्यधिक निर्भर हो गया। डेयरी क्षेत्र में भी भारत ने व्यापार वार्ताओं में सतर्कता बरती है, क्योंकि करोड़ों लघु एवं सीमांत पशुपालकों की आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर है तथा सस्ते आयातित दुग्ध–उत्पादों की प्रतिस्पर्धा से घरेलू डेयरी सहकारी ढांचे (जैसे अमूल मॉडल) को क्षति पहुँचने की संभावना रहती है। यही कारण है कि भारत ने हाल के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में भी डेयरी क्षेत्र को संवेदनशील सूची में रखकर बड़ी रियायतें देने से परहेज किया है।

वर्तमान स्थिति : MC13 एवं उसके पश्चात् (2024–2026)

फरवरी 2024 में अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) में भारत ने सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान हेतु दृढ़ता से अपनी मांग रखी। भारत का यह स्पष्ट रुख रहा कि जब तक सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान नहीं मिलता, वह कृषि से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत में भाग नहीं लेगा।

2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 'शांति खंड' (Peace Clause) के अंतर्गत अंतरिम राहत प्रदान की गई थी, जिसके तहत विकासशील देशों के सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों को कुछ शर्तों के साथ कानूनी चुनौती से सुरक्षा प्राप्त है। G33 समूह, जिसमें भारत एक प्रमुख आवाज़ है, ने MC13 में इस अंतरिम समाधान को स्थायी रूप दिए जाने तथा इसके दायरे का विस्तार करने की मांग की। हालांकि अमेरिका तथा कुछ अन्य विकसित एवं कैर्न्स समूह (Cairns Group) के देशों ने इस स्थायी समाधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप MC13 में कृषि पर कोई ठोस समझौता नहीं हो सका।

भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्यात प्रतिबंधों संबंधी पूर्व–सूचना देने जैसे प्रस्तावों को वह स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्यात–निषेध जैसी नीतिगत कार्रवाइयों की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। साथ ही, भारत ने विद्युत, सिंचाई एवं खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी तथा प्रत्यक्ष हस्तांतरण को 'गैर–परक्राम्य' (non–negotiable) घोषित किया है।

MC13 के पश्चात की स्थिति को देखें तो वैश्विक व्यापार परिदृश्य में नई जटिलताएँ उत्पन्न हुई हैं। 2025 में अमेरिका द्वारा अपनाई गई पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariff) नीति तथा WTO से संभावित दूरी बनाने की प्रवृत्ति ने बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं को और जटिल बना दिया है। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) तथा वन–कटाई संबंधी नियमन भारत के कृषि एवं संबंधित निर्यात के लिए नई गैर–टैरिफ बाधाओं के रूप में उभर रहे हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि श्रम एवं पर्यावरण जैसे विषय 'गैर–व्यापार मुद्दे' हैं और इन्हें सतत विकास की आड़ में व्यापार अवरोध के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

अगली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) से पूर्व अपीलीय निकाय (Appellate Body) के पुनरुद्धार, सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान, तथा ई–कॉमर्स स्थगन (E-commerce moratorium) जैसे मुद्दे भारत के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं। भारत साथ ही द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (जैसे भारत–यूके FTA, 2025) के माध्यम से भी अपने कृषि निर्यात हितों को आगे बढ़ा रहा है।

लाभ एवं हानि : तुलनात्मक सार

निम्नलिखित तालिका में WTO सदस्यता से भारतीय किसानों को प्राप्त प्रमुख लाभों एवं हानियों का संक्षिप्त तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है:

क्रम सं.	लाभ (Benefits)	हानि (Losses)
1	वैश्विक बाजार तक निर्यात पहुँच	विकसित देशों की उच्च सब्सिडी से असमान प्रतिस्पर्धा
2	तकनीकी हस्तांतरण एवं गुणवत्ता सुधार	ब्लू/ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से वंचित रहना
3	G33 जैसे समूहों में सामूहिक सौदेबाज़ी	MSP एवं सार्वजनिक भंडारण पर कानूनी दबाव
4	घरेलू नीति–सुधारों को प्रेरणा (DBT, PM-KISAN)	छोटे व सीमांत किसानों पर असमान प्रभाव
5	निवेश एवं अवसंरचना में वृद्धि की संभावना	सस्ते आयात से घरेलू उत्पादकों पर दबाव

भविष्य की राह– वार्ता एवं घरेलू सुधार का समन्वय

उपरोक्त तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत के लिए केवल अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में सफलता पर्याप्त नहीं है; घरेलू स्तर पर संरचनात्मक सुधार भी समान रूप से आवश्यक हैं। एक ओर भारत को बहुपक्षीय मंचों पर सार्वजनिक भंडारण के स्थायी समाधान तथा सब्सिडी गणना पद्धति में सुधार हेतु निरंतर दबाव बनाना होगा, तो दूसरी ओर घरेलू स्तर पर फसल विविधीकरण, जल–उपयोग दक्षता तथा डिजिटल कृषि–बाजार मंच (जैसे e-NAM) के विस्तार से किसानों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करना होगा। दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयास ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के दबाव में भारतीय किसानों के हित पीछे न छूटें।

नीतिगत सुझाव

- सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी एवं विस्तृत समाधान हेतु G33 समूह के साथ संगठित कूटनीतिक प्रयास जारी रखना।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी योजनाओं का विस्तार करना, जिससे सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों तक पहुँचे एवं बाजार–विकृति कम हो।
- छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए सहकारी एवं समूह–आधारित (Farmer Producer Organisations) मॉडल को प्रोत्साहित करना, जिससे सौदेबाज़ी क्षमता बढ़े।
- फसलोत्तर प्रबंधन, भंडारण एवं शीत–श्रृंखला अवसंरचना में निवेश बढ़ाकर निर्यात गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
- विकसित देशों की प्रति–किसान सब्सिडी असमानता को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सतत रूप से उजागर करना।
- द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों का संतुलित उपयोग करते हुए बहुपक्षीय वार्ताओं में अपनी सौदेबाज़ी शक्ति को मज़बूत बनाना।

निष्कर्ष

विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ने भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार से जुड़ने, तकनीकी उन्नयन एवं सामूहिक सौदेबाज़ी जैसे अवसर प्रदान किए हैं, परंतु साथ ही विकसित देशों की भारी सब्सिडी तथा असमान नियमों के कारण भारतीय किसानों, विशेषकर छोटे एवं सीमांत वर्ग, को महत्वपूर्ण चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सार्वजनिक भंडारण व्यवस्था भारत की खाद्य सुरक्षा रणनीति की आधारशिला है, और इस पर WTO के नियमों से उत्पन्न दबाव भारत के लिए एक सतत कूटनीतिक चुनौती बना हुआ है। 2024 के MC13 सम्मेलन में सार्वजनिक भंडारण पर स्थायी समाधान न मिल पाना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील एवं विकसित देशों के हितों में मूलभूत असंतुलन अभी भी विद्यमान है।

भविष्य में भारत को आवश्यकता है कि वह एक ओर बहुपक्षीय मंचों पर G33 जैसे समूहों के माध्यम से अपनी सामूहिक सौदेबाज़ी शक्ति का सुदृढ़ीकरण करे, और दूसरी ओर घरेलू स्तर पर किसानों की उत्पादकता, सौदेबाज़ी क्षमता एवं अवसंरचना में सुधार कर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु सक्षम बनाए। केवल इन दोनों स्तरों पर समन्वित प्रयासों से ही भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है तथा कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण के लाभों का समुचित हिस्सा प्राप्त हो सकता है।

संदर्भ सुची

1. आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली
2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, (2024), 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) हेतु भारत का एजेंडा https://vajiramandravi.com/current-affairs/wto-mc13/
3. दृष्टि IAS, (2024)। कृषि सब्सिडी में सुधार https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/reforming-agricultural-subsidies
4. दृष्टि IAS, (2024)। भारतीय कृषि का रूपांतरण https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/transforming-indian-agriculture
5. संस्कृति IAS, भारत पर कृषि सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ का दबाव https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/wto-pressure-on-india-regarding-agricultural-subsidy
6. नेक्स्ट IAS, भारत की कृषि नीतिरू उद्देश्य, घटक और अधिक https://www.nextias.com/blog/भारत–की–कृषि–नीति/
7. Essays in Hindi, डब्ल्यू० टी० ओ०: सब्सिडी व भारतीय कृषि https://www.essaysinhindi.com/essays/डब्ल्यू–टी–ओ–सब्सिडी–व/3786
8. World Trade Organisation, (2024). Agriculture negotiations enter final straight as MC13 approaches. https://www.wto.org/english/news_e/news24_e/agng_17jan24_e.htm
9. World Trade Organisation, (2024). Ministerial Conference, MC13, Abu Dhabi. Geneva: WTO Secretariat.
10. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2024), Insight into the 13th WTO Ministerial Conference. https://www.csis.org/analysis/insight-13th-wto-ministerial-conference
11. Business Standard, (2024), India to push for public stockholding of food grains at WTO MC13. https://www.business-standard.com/industry/agriculture/at-wto-mc13-india-to-prioritise-demand-food-stockholding-solution-124011800884_1.html
12. Anantam IAS। World Trade Organisation (WTO)-MC13, Appellate Body Crisis & UPSC Notes. https://anantamias.com/world-trade-organisation-wto/
13. Washington Trade & Tariff Letter। (2024), WTO: Agriculture Chair to Issue Draft Text for MC13. https://www.wttlonline.com/stories/agriculture-chair-to-issue-draft-text-for-wto-mc13,11632
14. Sethi, Archana & सोनेकर, एल. (2023). भारतीय नई कृषि नीति (Indian New Agricultural Policy). International Journal of Advances in Social Sciences. 240-245. 10.52711/2454-2679.2023.00039.
15. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, PM-KISAN योजना संबंधी आधिकारिक दस्तावेज़